बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 07/आवंटन/   पटना, दिनांक 3.10.18

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 20/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–108–बिजलीकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0101–विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड–23-2851.00.108.0101, विषय शीर्ष 0101:33.01–सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के विद्युत करघा बुनकरो को विद्युत करघा पर वस्त्र उत्पादन में हुई बिजली की खपत पर विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु रू0 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4130 दि0 27.09.2018 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 **300.00 लाख (तीन करोड़)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना आय–व्ययक शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–108–बिजलीकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0101–विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड–23-2851.00.108.0101, विषय शीर्ष 3301–सब्सिडी मद से विकलित होगा।

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

5 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

6 उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

7 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4130 दिनांक 27.09.2018 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

3/X

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 07/आवंटन/ पटना, दिनांक 3.10.18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 07/आवंटन पटना, दिनांक 3.10.18

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, पटना, गया, छपरा एवं मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया, भागलपुर, बांका, नालन्दा, औरंगाबाद, सीवान, मुजफ्फरपुर एवं पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।